

**राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम- 2013 के अन्तर्गत महत्वपूर्ण जानकारी।**

**देय खाद्यान्न की मात्रा एवं मूल्य :-**

- ❖ अन्त्योदय अन्य योजना - 20 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 15 कि०ग्रा० चावल प्रतिमाह प्रति कार्ड।
- ❖ पात्र गृहस्थी योजना - 03 कि०ग्रा० गेहूँ तथा 02 कि०ग्रा० चावल कुल 05 कि०ग्रा० प्रतिमाह खाद्यान्न प्रति यूनिट।
- ❖ उपरोक्त दोनों योजनाओं पर गेहूँ रु०-02 प्रति कि०ग्रा० तथा चावल रु०-03 कि०ग्रा० की दर से देय।

**खाद्यान्न प्राप्त न होने की स्थिति में :-**

- ❖ कार्ड धारक विभागीय टोल फ्री नम्बर 1800-1800-150 अथवा 1967 पर अपनी शिकायत दर्ज करायी जा सकती है।
- ❖ जनपद स्तर पर जिलाधिकारी, उपजिलाधिकारी एवं जिला पूर्ति अधिकारी के समक्ष शिकायत की जा सकती है।
- ❖ जनपद स्तर पर जिला शिकायत निवारण अधिकारी अर्थात् नामित अपर जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष हकदारी अथवा खाद्य सुरक्षा भत्ते प्राप्त किये जाने हेतु शिकायत की जा सकती है।



**खाद्य तथा रसद विभाग**

**उत्तर प्रदेश शासन**

**जनपद : लखनऊ**

राशन कार्ड क्रमांक : **215740063466**

टाउन : **LUCKNOW**

मुखिया का नाम : **कान्ती देवी**

पिता / पति का नाम : **नन्द लाल दास**

श्रेणी/जाति :

निवास का पता : **Basrheya, GOSANGANJ Lucknow**

आधार /इनरोलमेंट नं० : **XXXX XXXX**

गैस ग्राहक कनेक्शन सं० :

गैस एजेंसी का नाम :

उचित दर दुकान : **Sahayak Sahkari Samiti**

यूनिटों का विवरण : **2 (Two)**

दिनांक : **28-05-2024**

Digitally Signed By

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम -२० के अन्तर्गत डिजिटली हस्ताक्षरित राशन कार्ड

IT Solution Provided By: National Informatics Centre(NIC), UP. Print at :

**परिवार की सदस्यों की सूची**

क्रम सं.	नाम	पिता/पति का नाम (हिंदी में)	मुखिया से सम्बन्ध
1	कान्ती देवी	नन्द लाल दास	मुखिया
2	छेगा लाल वर्मा	राम स्वरूप	